Regarding need to address the problrms being faced by in-service teachers due to mandatory Teacher Eligibility Test as a service condition

श्री प्रवीण पटेल **(**फूलपुर**)**: धन्यवाद सभापति महोदया, मैं आपका ध्यान उन लाखों शिक्षकों की तरफ दिलाना चाहता हूं, जो अभी पूरे देश में, चाहे सत्तापक्ष के हों, चाहे विपक्ष के हों, बड़ी संख्या में शिक्षक सांसदों, विधायकों के पास जा रहे हैं । उनके सामने एक बड़ी विपत्ति उत्पन्न हुई है ।

माननीय सभापति: माननीय सदस्य, क्या आपने विषय चेंज किया है?

श्री प्रवीण पटेल: जी मैडम ।

माननीय सभापति: आपको यहां बताना चाहिए था ।

श्री प्रवीण पटेल: मैडम हमने वहां दिया हुआ है ।

माननीय सभापति: ठीक है ।

श्री प्रवीण पटेल: मैडम, सारे शिक्षक जनप्रतिनिधियों के पास जा रहे हैं । अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश लागू किया कि सारे प्राथमिक शिक्षकों को टीईटी अनिवार्य कर दिया जाए । जबकि 20-25-30 साल पहले जब इन शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, उस समय विज्ञापन में या जो उनके सामने जो अहर्ता थी, उस समय ऐसी कोई बात नहीं थी । अगर अभी यह नियम लागू होता है तो बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं, जिनके सामने बहुत समस्या उत्पन्न होगी । मैं सरकार से माँग करता हूँ कि लाखों शिक्षकों के भविष्य को देखते हुए इस तरफ ध्यान दिया जाए । वर्ष 2009 में जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ, उसके बाद जिन शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, उनके लिए तो टीईटी अनिवार्य किया जाए, लेकिन उसके पहले जिन शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, उनको टीईटी की अनिवार्यता से छूट दी जाए । इससे शिक्षकों के सामने सामाजिक रूप से जो समस्या उत्पन्न हो रही है, वह समस्या उत्पन्न न हो ।

महोदया, सारे शिक्षक सांसदों के पास जा रहे हैं और अभी दिल्ली में भी उन्होंने धरना-प्रदर्शन किया था । शिक्षक जिले-जिले में धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं । उनकी यह चिंता स्वाभाविक है । यह जो कानून लागू हुआ है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश निश्चित रूप से अव्यावहारिक है ।

महोदया, मैं आपके माध्यम से माँग करता हूँ कि सरकार उनकी माँगों पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए एक नया कानून बनाए और वर्ष 2009 के पहले जिन शिक्षकों की भर्ती हुई थी, उनको इससे छूट दी जाए । बहुत-बहुत धन्यवाद । जय हिन्द ।